

रक्षा मंत्रालय

{ संयुक्त सचिव (प्रशि) एवं मुप्रअ कार्यालय }

विषय : संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना के अन्तर्गत सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठनों में एकजॉबिनर-2 ग्रेड के कार्मिकों को सतत् सेवा के 20 वर्ष पूर्ण कर लेने के उपरांत द्वितीय वित्तीय उन्नयन।

संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना संबंधी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, के ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था० (डी), दिनांक 19 मई 2009 सह पठित ज्ञापन दिनांक 16 नवम्बर 09 एवं 09 सितम्बर 10, में विहित नियमों एवं दिथा-निर्देशों के आलोक में सतत् सेवा के 20 वर्ष पूर्ण कर लेने के उपरांत, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठन के जी एस/एम आई निदेशालय में एकजॉबिनर 2 ग्रेड के अधोलिखित कार्मिकों को द्वितीय वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है:

क्र० सं०	नाम (श्री/श्रीमति/कु)	जन्मतिथि	एमएसीपी हेतु 20 वर्ष पूर्ण होने की तिथि	प्रदत्त वित्तीय उन्नयन	वित्तीय उन्नयन की तिथि	प्रदत्त वित्तीय उन्नयन का पे बेंड एवं ग्रेड वेतन
1	Amit M Kumar Joshi	24.10.72	29.11.15	द्वितीय	29.11.15	पे बेंड-2 (₹9,300-34,800) + ग्रेड वेतन ₹4,800
2	Biwas Chandra Das	09.01.61	11.12.15	द्वितीय	11.12.15	वही
3	Deva Pratim Borah	01.01.68	03.11.15	द्वितीय	03.11.15	वही
4	Gautam Acharya	12.02.65	15.02.16	द्वितीय	15.02.16	वही
5	Kamal Chandra Rai	05.06.69	05.10.15	द्वितीय	05.10.15	वही
6	Pradeep Kumar Karmakar	20.01.65	22.02.16	द्वितीय	22.02.16	वही
7	S Bhattacharya	01.02.66	17.10.15	द्वितीय	17.10.15	वही
8	Sajeev S	25.05.72	27.11.15	द्वितीय	27.11.15	वही
9	Santosh Chandra Darnal	08.03.62	12.12.15	द्वितीय	12.12.15	वही
10	Shivaji Pandey	01.09.65	16.11.15	द्वितीय	16.11.15	वही
11	Subhash Chaudhuri	23.01.73	04.12.15	द्वितीय	04.12.15	वही

2. संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन कर्मचारी को विशुद्धतः वैयक्तिक रूप से दिया जाएगा और उसकी वरिष्ठता स्थिति से इसका कोई संबंध नहीं होगा। इसी प्रकार वरिष्ठ कर्मचारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नहीं दिया जाएगा कि इस ग्रेड में कनिष्ठ कर्मचारी ने संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त कर लिया है।

3. संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत पदोन्नति/वित्तीय उन्नयन देते समय अपना वेतन नियत करवाने के संबंध में किसी सरकारी कर्मचारी को मूल नियम 22(1)क(1) के अंतर्गत उसकी पदोन्नति/उन्नयन की तारीख से अथवा उसकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख अर्थात् उस वर्ष की 01 जुलाई से उच्चतर पद/ग्रेड वेतन में वेतन नियत करवाने का

विकल्प है। वेतन और वेतन वृद्धि की तारीख को व्यय विभाग के दिनांक 13/09/08 के कार्यालय ज्ञापन सं०1/1/2008-आई.सी. के स्पष्टीकरण सं० 2 के अनुसार नियत किया जाएगा। इस योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के समय पर नियमित पदोन्नति के समय प्रदान किया जाने वाला वेतन निर्धारण का लाभ भी अनुज्ञेय होगा। अतः ऐसे में वेतन, इस प्रकार हुए उन्नयन से पूर्व, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में आहरित किए जा रहे कुल वेतन के 3 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। तथापि, नियमित पदोन्नति, यदि एमएसीपी योजना के अंतर्गत यथा प्रदत्त समान ग्रेड वेतन में हुई है तो उस समय वेतन निर्धारण का और लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। तथापि, वास्तविक पदोन्नति, यदि किसी ऐसे पद पर हुई है जिसका ग्रेड वेतन उससे उच्चतर है, जो एमएसीपी योजना के अंतर्गत उपलब्ध होता, तो वेतन का निर्धारण नहीं किया जाएगा और केवल ग्रेड वेतन का अंतर प्रदान किया जाएगा।

4. यदि कर्मचारी को नियमित पदोन्नति प्रदान की गई है परन्तु उसने वित्तीय उन्नयन का हकदार बनने से पहले मना कर दिया था तो कोई वित्तीय उन्नयन नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऐसे कर्मचारी को अवसरों की कमी के कारण गतिहीन नहीं किया गया है तथापि, यदि वित्तीय उन्नयन की अनुमति गतिहीनता के कारण नहीं दी गई है और तत्पश्चात कर्मचारी ने पदोन्नति से मना कर दिया है तो यह वित्तीय उन्नयन को वापस लेने का आधार नहीं होगा। फिर भी, वह अगले वित्तीय उन्नयन पर विचार करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह पुनः पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए सहमत नहीं होता है और अगला वित्तीय उन्नयन इकार के कारण विवर्जन की अवधि समाप्त होने तक भी स्थगित कर दिया जाएगा।

5. चूंकि उपरोक्त कार्मिकों को द्वितीय वित्तीय उन्नयन दिये जाने की तिथि इस आदेश के जारी किये जाने के बाद की है। अतः संबंधित प्रशासनिक अनुभाग से यह आग्रह किया जाता है कि इन्हें द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ दिये जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि इनके विरुद्ध कोई भी सतर्कता/अवुशासन संबंधी मामला लम्बित/विचाराधीन नहीं हो।

6. उपरोक्त वित्तीय उन्नयन संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले अनुदेशों एवं दिशा-निर्देशों के अध्याधीन होंगे।



(राजेश तिवारी)

वपअ, मुप्रअ/कार्मिक-2(ए)

जुलाई 2015

31

जी एस/ एम आई -12

मुप्रअ/ए-6(बी)

प्रतिलिपि-:

बी सी एस (दिल्ली)

बी सी एस (कोलकाता)

निदेशक (मा०सं०) के निजी सहायक

उप मुप्रअ (का) के निजी सहायक

मुप्रअ/एपीएआर-कार्मिक-2

संबंधित कर्मचारी

स०से०मु०/अ०से०सं के कर्मचारी संघ

मुप्रअ वेबसाइट

सूचना पटल